Bill No. 17 of 2014

THE INDUSTRIAL DISPUTES (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2014

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Industrial Disputes Act, 1947 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Act, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Central Act No. 14 of 1947.- In the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. 14 of 1947), in its application to the State of Rajasthan, hereinafter referred to as the principal Act, in section 2,-

(a) the existing sub-clause (iii) of clause (g) shall be deleted; and

(b) in clause (s), the existing expression "by an employer or by a contractor in relation to the execution of his contract with such employer" shall be deleted.

3. Amendment of section 2A, Central Act No. 14 of 1947.- In section 2A of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(4) Notwithstanding anything in sub-sections (1), (2) and (3), no such dispute or difference between that workman and his employer connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute if such dispute is not raised in conciliation proceeding within a period of

three years from the date of such discharge, dismissal, retrenchment or termination:

Provided that an authority, as may be specified by the State Government, may consider to extend the said period of three years when the applicant workman satisfies the authority that he had sufficient cause for not raising the dispute within the period of three years.".

4. Amendment of Chapter II-B, Central Act No.14 of 1947.- Chapter II-B of the principal Act, as inserted by the Rajasthan Act No. 34 of 1958, shall be renumbered as "**CHAPTER IIC**".

5. Amendment of section 9C, Central Act No. 14 of 1947.- Section 9C of the principal Act, as inserted by the Rajasthan Act No. 34 of 1958, shall be renumbered as "**9CC**".

6. Amendment of section 9D, Central Act No. 14 of 1947.- In section 9D of the principal Act, as inserted by the Rajasthan Act No. 34 of 1958, the existing expression "fifteen per cent" shall be substituted by the expression "thirty per cent".

7. **Amendment of section 25K, Central Act No. 14 of 1947.**- For the existing section 25K of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**25K. Application of Chapter VB.**- (1) The provisions of this Chapter shall apply to an industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which not less than three hundred workmen were employed on an average per working day for the preceding twelve months.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the State Government may, if satisfied that maintenance of industrial peace or prevention of victimization of workmen so requires, by notification in the Official Gazette apply the provisions of this Chapter to an industrial establishment, (not being an establishment of a

seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which such number of workmen which may be less than three hundred but not less than one hundred, as may be specified in the notification, were employed on an average per working day for the preceding twelve months.

(3) If a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal character or whether work is performed therein only intermittently, the decision of the appropriate Government thereon shall be final.".

8. Amendment of section 25N, Central Act No. 14 of 1947.- In section 25N of the principal Act,-

(a) in clause (a) of sub-section (1), the existing expression ", or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice" shall be deleted; and

(b) in sub-section (9), after the existing expression "six months" and before the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the expression "and an amount equivalent to his three months average pay" shall be inserted.

9. Amendment of section 25-O, Central Act No. 14 of 1947.- In sub-section (8) of section 25-O of the principal Act, after the existing expression "six months" and before the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the expression "and an amount equivalent to his three months average pay" shall be inserted.

10. Amendment of Fifth Schedule, Central Act No. 14 of 1947.- After the existing paragraph 5 of Part II to the Fifth Schedule of the principal Act, the following shall be added, namely:-

"**Explanation.-** For the purpose of this paragraph, 'go slow' means any such activity by any number of persons, employed in any industry, acting in combination or with common understanding, to slow down or to delay

the process of production or work purposely whether called by work to rule or by any other name, so as the fixed or average or normal level of production or work or output of workman or workmen of the establishment is not achieved:

Provided that all necessary ingredients or inputs for standard quality production or work are made available in time and in sufficient quantity.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the Act), as amended in its application to the State of Rajasthan, vide section 2 thereof, various terms have been defined. Vide State Amendment of 1958 sub-clause (iii) was added in section 2(g) by which provision was made to consider owner of the establishment (principal employer) as "employer" for contract workers. Similar amendment was also made in definition of "workman" under clause (s). Since a separate Act, The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 was enacted by the Parliament for regulating the employment of contract workers in certain establishments and for its abolition of certain circumstances, therefore, sub-clause (iii) of clause (g) and the expression added in clause (s) vide State Amendment of 1958 has become irrelevant and ineffective. Hence, these need to be deleted.

Under section 2A of the Act no time limit is prescribed for raising disputes connected with or arising out of discharge, dismissal, retrenchment or termination of an individual workman and sometimes such disputes are raised after a lapse of many years which cause difficulties in settlement of disputes. It is, therefore, proposed that a time limit of three years be provided for raising the industrial disputes covered under section 2A and the time limit so prescribed could be extended by the competent authority on sufficient grounds.

By the Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Act, 1958 a new Chapter II-B containing sections 9C to 9J was inserted in the Industrial Disputes Act, 1947. Further, by the Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Act, 1970 the existing sections 9D, 9E, 9F and 9G of Chapter II-B were amended. The Parliament has enacted the Industrial Disputes (Amendment) Act, 1982 vide which Chapter IIB containing section 9C was inserted. Further, the Parliament has enacted the Industrial Disputes (Amendment) Act, 2010 vide which Chapter IIB containing section 9C was substituted. Consequent to the said Central enactments reference to

Chapter II-B containing section 9C vide State Amendment is proposed to be renumbered as "CHAPTER IIC" and "9CC".

Under section 9D, as inserted by the Rajasthan Act No. 34 of 1958, it is provided that any union having a membership of not less than fifteen per cent of the total number of workmen employed in any industry may apply for registration as a representative union. Because of existing limit, many unions may become eligible for making application for registration as representative union which may possibly increase inter union conflicts and also multiplicity of unions in an industry. To minimize this possibility it is proposed to increase membership from "fifteen per cent" to "thirty per cent".

Section 25K provides for applicability of Chapter VB of the Act and this Chapter is applicable to such industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which not less than "one hundred" workmen were employed on an average per working day for the preceding twelve months. In such establishments, prior permission of the State Government is to be required for the employer before effecting lay off, retrenchment or closure. It is proposed vide this amendment to increase the number of workmen from one hundred to three hundred, which would help and encourage the employers to employ more number of workers in the establishment. However, if State Government is satisfied that maintenance of industrial peace or for prevention of victimization of workmen so requires, it could apply the provisions of the Chapter VB to an industrial establishment in which less than three hundred but not less than one hundred workmen are employed.

Existing section 25N provides for conditions precedent to retrenchment of workmen. Under clause (a) of sub-section (1) it is required that three months' notice or in lieu of notice wages for notice period is to be given to the workers before retrenchment. To ensure that the employer shall only give notice of three months to

such workmen, provision to give wages for notice period in lieu of notice is proposed to be deleted. Further, to provide additional financial security to the workmen affected by such retrenchment, it is proposed to amend sub-section (9) to the effect that in addition of the compensation, as prescribed in the sub-section, the workman is paid an amount equivalent to his three months average pay. Similar provision is proposed to be added in sub-section (8) of section 25-O providing for payment of an amount equivalent to three month's average pay, along with compensation on prescribed rates, must also be paid to the workers who are being affected by the closure of the establishment.

Term "go slow" is included in paragraph 5 of Part II of the Fifth Schedule of the Act but the same has not been defined, which causes difficulty in disposal of matters relating to "go slow". Therefore, for the purpose of removing this difficulty, an explanation after the existing paragraph 5 of Part II of the Fifth Schedule is proposed to be added to define the term "go slow".

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947
(Central Act No. 14 of 1947)

XX XX XX XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) to (f) XX XX XX XX XX

(g) "employer" means-

(i) in relation to an industry carried on by or under the authority of any department of the Central Government or a State Government, the authority prescribed in this behalf, or where no authority is prescribed, the head of the department;

(ii) in relation to an industry carried on by or on behalf of a local authority, the chief executive officer of that authority;

(iii) where the owner of any industry in the course of or for the purpose of conducting the industry contracts with any person for the execution by or under the contractor of the whole or any part of any work which is ordinarily a part of the industry, the owner of the industry.

(gg) to (rrr) XX XX XX XX XX

(s) "workman" means any person (including an apprentice) employed in any industry by an employer or by a contractor in relation to the execution of his contract with such employer to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, and for the purposes of any proceeding under this Act in relation to an industrial dispute, includes any such person who

has been dismissed, discharged or retrenched in connection with, or as a consequence of, that dispute, or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute, but does not include any such person-

(i) who is subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), or the Army Act, 1950 (46 of 1950), or the Navy Act, 1957 (62 of 1957); or

(ii) who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison; or

(iii) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or

(iv) who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding ten thousand rupees per mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature.

2A. Dismissal, etc., of an individual workman to be deemed to be an industrial dispute.- (1) Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an individual workman, any dispute or difference between that workman and his employer connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workman is a party to the dispute.

(2) Notwithstanding anything contained in section 10, any such workman as is specified in sub-section (1) may, make an application direct to the Labour Court or Tribunal for adjudication of the dispute referred to therein, after the expiry of forty-five days from the date he has made the application to the Conciliation Officer of the appropriate Government for conciliation of the dispute, and in receipt of such application the Labour Court or Tribunal shall have powers and jurisdiction to adjudicate upon the dispute, as if it were a dispute referred to it by the appropriate

Government in accordance with the provisions of this Act and all the provisions of this Act, shall apply in relation to such adjudication as they apply in relation to an industrial dispute referred to it by the appropriate Government.

(3) The application referred to in sub-section (2) shall be made to the Labour Court or Tribunal before the expiry of three years from the date of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of service as specified in sub-section (1).

XX XX XX XX XX XX XX

CHAPTER II-B
REGISTRATION OF UNIONS

9C. Maintenance of Register.- It shall be the duty of the Registrar to maintain in such form as may be prescribed a register of Unions registered by him under the provisions of this Act.

9D. Application for registration.- Any Union which has for the whole of the period of at least three months during the period of six months immediately preceding the calendar month in which it so applies under this section a membership of not less than fifteen per cent of the total number of workmen employed in unit of an industry may apply in the prescribed form to the Registrar for registration as a representative Union.

XX XX XX XX XX XX XX

25K. Application of Chapter VB.- (1) The provisions of this Chapter shall apply to an industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which not less than one hundred workmen were employed on an average per working day for the preceding twelve months.

(1-A) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the State Government may, if satisfied that maintenance of industrial peace or prevention of victimization of workmen so requires, by notification in the Official Gazette, apply the

provisions of this Chapter to an industrial establishment; (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which such number of workmen which may be less than three hundred but not less than one hundred, as may be specified in the notification, were employed on an average per working day for the preceding twelve months.

(2) If a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal character or whether work is performed therein only intermittently, the decision of the appropriate Government thereon shall be final.

XX XX XX XX XX XX XX

25N. Conditions precedent to retrenchment of workmen.- (1) No workman employed in any industrial establishment to which this Chapter applies, who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until,-

(a) the workman has been given three months' notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice; and

(b) the prior permission of the appropriate Government or such authority as may be specified by that Government by notification in the Official Gazette (hereafter in this section referred to as the specified authority) has been obtained on an application made in this behalf.

(2) to (8) XX XX XX XX XX

(9) Where permission for retrenchment has been granted under sub-section (3) or where permission for retrenchment is deemed to be granted under sub-section (4), every workman who is employed in that establishment immediately before the date of application for permission under this section shall be entitled to receive, at the time of retrenchment, compensation which shall be

equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months.

25-O. Procedure for closing down an undertaking.- (1) to (7) XX XX XX XX XX

(8) Where an undertaking is permitted to be closed down under sub-section (2) or where permission for closure is deemed to be granted under sub-section (3), every workman who is employed in that undertaking immediately before the date of application for permission under this section, shall be entitled to receive compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months.

XX XX XX XX XX XX XX

THE FIFTH SCHEDULE

[See section 2 (ra)]

UNFAIR LABOUR PRACTICES

I.- On the part of employers and trade unions of employers

1. to 16. XX XX XX XX XX

II.- On the part of workmen and trade unions of workmen

1. to 4. XX XX XX XX XX

5. To stage, encourage or instigate such forms of coercive actions as wilful "go slow", squatting on the work premises after working hours or "gherao" of any of the members of the managerial or other staff.

6. to 8. XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2014 का विधेयक सं. 17

औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू करने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के राजस्थान राज्य में लागू करने के निमित्त, उसकी धारा 2 में,-

(क) खण्ड (छ) का विद्यमान उप-खण्ड (iii) हटाया जायेगा; और

(ख) खण्ड (ध) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे नियोजक के साथ उसके संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में किसी नियोजक या संविदाकार" हटायी जायेगी।

3. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 2क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 2क में, विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(4) उप-धारा (1), (2) और (3) में किसी बात के होने पर भी, किसी कर्मकार और उसके नियोक्ता के बीच ऐसे उन्मोचन, पदच्युति, छंटनी या पर्यवसान से संबंधित या उसके कारण उठने वाला ऐसा विवाद या मतभेद, औद्योगिक विवाद नहीं समझा जायेगा, यदि ऐसा विवाद, ऐसे उन्मोचन, पदच्युति, छंटनी या पर्यवसान की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर सुलह कार्यवाही में नहीं उठाया गया हो:

परन्तु कोई प्राधिकारी, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, उक्त तीन वर्ष की कालावधि को बढ़ाने के लिए तब विचार कर सकेगा, जबकि आवेदक कर्मकार उस प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास उस विवाद को तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर नहीं उठाने का पर्याप्त कारण था।"।

4. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 के अध्याय II-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम का अध्याय II-ख, जैसाकि 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 34 के द्वारा अन्त:स्थापित किया गया था, "**अध्याय II-ग**" के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा।

5. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 9-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9ग, जैसाकि 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 34 के द्वारा अन्त:स्थापित की गयी थी, "**9-गग**" के रूप में पुन:संख्यांकित की जायेगी।

6. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 9-घ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9-घ, जैसाकि 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 34 के द्वारा अन्त:स्थापित की गयी थी, में विद्यमान अभिव्यक्ति "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 25ट का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 25ट के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**25ट. अध्याय 5ख का लागू होना.-** (1) इस अध्याय के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो मौसमी प्रकार का स्थापन नहीं है या जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्य-दिवस को औसतन कम से कम तीन सौ कर्मकार नियोजित थे।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाये कि औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने या कर्मकारों पर अत्याचार होने को रोकने के लिए ऐसा अपेक्षित है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो

मौसमी प्रकार का स्थापन नहीं है या जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू कर सकेगी जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्य दिवस को औसतन ऐसी संख्या में कर्मकार नियोजित थे जो तीन सौ से कम हों परन्तु एक सौ से कम न हों, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं अथवा उसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है या नहीं तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।"।

8. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 25ढ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25ढ में,-

(क) उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया हो" हटायी जायेगी; और

(ख) उप-धारा (9) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के औसत वेतन" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "के बराबर होगा" के पूर्व अभिव्यक्ति "और उसके तीन मास के औसत वेतन की रकम" अन्त:स्थापित की जायेगी।

9. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की धारा 25-ण का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25-ण की उप-धारा (8) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "के औसत वेतन" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "के बराबर है" के पूर्व अभिव्यक्ति "और उसके तीन मास के औसत वेतन की रकम" अन्त:स्थापित की जायेगी।

10. 1947 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 14 की पांचवीं अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की पांचवीं अनुसूची के भाग II के विद्यमान पैरा 5 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** इस पैरा के प्रयोजन के लिए, 'धीमी गति' से किसी उद्योग में नियोजित, सहयोगी रूप से या सामान्य मति से कार्यरत कितने भी व्यक्तियों का उद्देश्यपूर्वक किया गया ऐसा कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसके द्वारा उत्पादन या कार्य की प्रक्रिया को

धीमा करना या देरी करना है, चाहे नियम के अनुसार कार्य करने या अन्य किसी नाम से जाना जाये, जिससे कि संस्थापन के कर्मकार या कर्मकारों के उत्पादन या कार्य या निर्गम का नियत या औसत या सामान्य स्तर प्राप्त नहीं किया जाता:

परन्तु यह कि मानक गुणवत्ता उत्पादन या कार्य के लिए समस्त आवश्यक घटक या आगम, समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाये गये हों।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य में लागू करने के निमित्त यथा संशोधित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) (जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है), में, उसकी धारा 2 के द्वारा विभिन्न पदों को परिभाषित किया गया है। 1958 के राज्य संशोधन द्वारा धारा 2 (छ) में उप-खण्ड (iii) जोडा गया था जिसके द्वारा संविदा कर्मकारों के लिए स्थापन के स्वामी (मुख्य नियोजक) को "नियोक्ता" के रूप में समझने के लिए उपबंध किया गया था। इसी प्रकार का संशोधन खण्ड (ध) के अधीन "कर्मकार" की परिभाषा में भी किया गया था। चूंकि कतिपय स्थापनों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने के लिए और कतिपय परिस्थितियों में इसके उत्सादन के लिए, संसद् द्वारा एक पृथक् अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 अधिनियमित किया गया था, इसलिए 1958 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया खण्ड (छ) का उप-खण्ड (iii) और खण्ड (ध) में जोड़ी गयी अभिव्यक्ति असंगत और अप्रभावी हो गयी है। अत:, इन्हें हटाया जाना आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 2क के अधीन, किसी व्यक्तिगत कर्मकार के उन्मोचन, पदच्युति, छंटनी या पर्यवसान से संबंधित या उनसे उठने वाले विवादों को उठाने की समय-सीमा विहित नहीं की गयी है और कभी-कभी ऐसे विवाद कई वर्ष बीत जाने के बाद उठाये जाते हैं जिसके कारण विवादों के समझौते में कठिनाइयां होती हैं। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि धारा 2क के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक विवादों को उठाने के लिए तीन वर्ष की समय-सीमा विहित की जाये और इस प्रकार विहित समय-सीमा, पर्याप्त आधारों पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1958 द्वारा धारा 9ग से 9त्र तक की धाराओं को अन्तर्विष्ट करने वाला एक नया अध्याय II-ख औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में अन्त:स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा अध्याय II-ख की विद्यमान धाराएं 9घ, 9ङ,

9च और 9छ संशोधित की गयी थीं। संसद् ने औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 अधिनियमित किया है जिसके द्वारा धारा 9ग को अन्तर्विष्ट करने वाला अध्याय II-ख अन्त:स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, संसद् ने औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया है जिसके द्वारा धारा 9ग को अन्तर्विष्ट करने वाला अध्याय II-ख प्रतिस्थापित किया गया था। उक्त केन्द्रीय अधिनियमितियों के परिणामस्वरूप, राज्य संशोधन के द्वारा धारा 9ग को अन्तर्विष्ट करने वाले अध्याय II-ख के प्रति निर्देश को "अध्याय II-ग" और "धारा 9गग" के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 9घ के अधीन, जैसीकि 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 34 के द्वारा अन्त:स्थापित की गयी थी, यह उपबंधित है कि किसी उद्योग में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अन्यून सदस्यता रखने वाला कोई भी संघ, प्रतिनिधि संघ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा। विद्यमान सीमा के कारण अनेक संघ, प्रतिनिधि संघ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो सकते हैं जिससे संभवतया किसी उद्योग में अन्तर्संघ मतभेद और संघों की बहुलता में वृद्धि हो सकती है। इस संभावना को कम करने के लिए सदस्यता को "पन्द्रह प्रतिशत" से बढ़ाकर "तीस प्रतिशत" किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 25ट, अधिनियम के अध्याय 5ख के लागू किये जाने का उपबंध करती है और यह अध्याय ऐसे औद्योगिक स्थापन को (जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू होता है जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्य-दिवस को औसतन "एक सौ" से अन्यून कर्मकार नियोजित थे। ऐसे स्थापनों में, नियोजक के लिए, कामबंदी, छंटनी या बंदी करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति अपेक्षित है। इस संशोधन के द्वारा कर्मकारों की संख्या को एक सौ से बढ़ाकर तीन सौ किया जाना प्रस्तावित है जिससे नियोजकों को स्थापन में अधिक संख्या में कर्मकार नियोजित करने में सहायता और प्रोत्साहन प्राप्त होगा। तथापि, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि औद्योगिक शांति बनाये

रखने के लिए या कर्मकारों पर अत्याचार होने की रोकथाम के लिए ऐसा अपेक्षित है तो वह, अध्याय 5ख के उपबंधों को ऐसे स्थापन पर लागू कर सकेगी जिसमें तीन सौ से कम किन्तु एक सौ से अन्यून कर्मकार नियोजित हों।

विद्यमान धारा 25ढ, कर्मकारों की छंटनी की पुरोभाव्य शर्तों का उपबंध करती है। उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन यह अपेक्षित है कि छंटनी से पूर्व कर्मकारों को तीन मास का नोटिस या नोटिस के बदले में नोटिस कालावधि के लिए मजदूरी दी जाये। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोजक, ऐसे कर्मकारों को केवल तीन मास का नोटिस ही देगा, नोटिस के बदले में नोटिस कालावधि की मजदूरी संदत्त करने का उपबंध हटाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, ऐसी छंटनी के द्वारा प्रभावित कर्मकारों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, उप-धारा (9) को इस प्रभाव तक संशोधित किया जाना प्रस्तावित है कि इस उप-धारा में यथाविहित प्रतिकर के अतिरिक्त कर्मकार को, उसके तीन मास के औसत वेतन के बराबर रकम संदत्त की जायेगी। स्थापन की बंदी के द्वारा प्रभावित होने वाले कर्मकारों को भी विहित दरों पर प्रतिकर के साथ-साथ तीन मास के औसत वेतन के बराबर रकम के संदाय का उपबंध करते हुए धारा 25-ण की उप-धारा (8) में भी इसी प्रकार का उपबंध जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की पांचवीं अनुसूची के भाग II के पैरा 5 में पद "धीमी गति" सम्मिलित किया गया है किन्तु इसको परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे "धीमी गति" से संबंधित मामलों के निस्तारण में कठिनाई होती है। इसलिए, इस कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए, पांचवीं अनुसूची के भाग II के विद्यमान पैरा 5 के पश्चात् पद "धीमी गति" को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्टीकरण जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,

प्रभारी मंत्री।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो-

(क) से (च) XX XXXX XX XX XX

(छ) "नियोजक" से-

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए गए उद्योग के संबंध में, इस निमित्त विहित प्राधिकारी, या जहां कि कोई प्राधिकारी विहित नहीं है, वहां विभागाध्यक्ष, अभिप्रेत है;

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से चलाए गए उद्योग के संबंध में, उस प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(iii) जब किसी उद्योग का स्वामी, उद्योग के संचालन के दौरान या उसके प्रयोजनार्थ किसी सम्पूर्ण कार्य या उसके किसी भाग के, जो साधारणत: उस उद्योग का भाग है, किसी संविदाकार द्वारा या उसके अधीन निष्पादन के लिए, किसी व्यक्ति के साथ संविदा करता है, तो उद्योग का स्वामी।

(छछ) से (ददद) XX XX XX XX XX XX

(ध) "कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत शिक्षु आता है) अभिप्रेत है, जो किसी उद्योग में भाड़े या इनाम के लिए कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, संक्रियात्मक, लिपिकीय या पर्यवेक्षणिक कार्य करने के लिए नियोजित ऐसे नियोजक के साथ उसके संविदा के निष्पादन के संबंध में किसी नियोजक या संविदाकार है, चाहे नियोजन के निबन्धन अभिव्यक्त हों या विवक्षित, और किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए

इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप पदच्युत या उन्मोचित कर दिया गया है या जिसकी छंटनी कर दी गई है अथवा जिसकी पदच्युति, उन्मोचन या छंटनी किए जाने से वह विवाद पैदा हुआ हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो-

(i) वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम 1957 (1957 का 62) के अधीन हो; अथवा

(ii) पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो; अथवा

(iii) मुख्यत: प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित हो; अथवा

(iv) पर्यवेक्षणिक हैसियत में नियोजित होते हुए प्रतिमास दस हजार रुपए से अधिक मजदूरी लेता हो अथवा या तो पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का प्रयोग करता है जो मुख्यत: प्रबन्धकीय प्रकृति के हैं।

2क. एक कर्मकार की पदच्युति आदि का भी औद्योगिक विवाद समझा जाना.- (1) जहां कि कोई नियोजक किसी कर्मकार को उन्मोचित या पदच्युत कर देता है या उसकी छंटनी कर देता है, या उसकी सेवाएं अन्यथा पर्यवसित कर देता है, वहां ऐसे उन्मोचन, पदच्युति या छंटनी या पर्यवसान से संसक्त या उद्भूत कोई विवाद या मतभेद जो उस कर्मकार और उसके नियोजक के बीच हो, इस बात के होते हुए भी कि न तो अन्य कर्मकार और न कर्मकारों का कोई संघ उस विवाद में पक्षकार है, औद्योगिक विवाद समझा जाएगा।

(2) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई कर्मकार, जो उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट है, उस तारीख से, जिसको उसने विवाद के सुलह के लिए समुचित सरकार के सुलह अधिकारी को आवेदन किया है, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् उसमें निर्दिष्ट विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय या अधिकरण को सीधे आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर श्रम न्यायालय या अधिकरण

को विवाद के संबंध में न्यायनिर्णयन करने की शक्तियां और अधिकारिता ऐसे होंगी, मानो वह समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे निर्देशित किया गया विवाद हो और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे न्यायनिर्णयन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे समुचित सरकार द्वारा उसे निर्देशित किए गए किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में लागू होते हैं।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन श्रम न्यायालय या अधिकरण को उप-धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदभारमुक्ति, पदच्युति, छंटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा।

XX XX XX XX XX XX XX

अध्याय II-ख

संघों का रजिस्ट्रीकरण

9-ग. रजिस्टर का बनाये रखना.- रजिस्ट्रार का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत संघों का एक रजिस्टर ऐसे प्ररुप में बनाए रखने का कर्त्तव्य होगा जो विहित किया जाए।

9-घ. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.- जिस किसी संघ की सदस्य संख्या इस धारा के अधीन उस केलेन्डर मास जिसमें वह इस प्रकार आवेदन-पत्र देता है, के ठीक पूर्ववर्ती छ: मास की अवधि के दौरान कम से कम तीन मास की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान किसी उद्योग की इकाई में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं है, वह संघ रजिस्ट्रार को प्रतिनिधि-संघ के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए विहित प्ररुप में आवेदन दे सकेगा।

XX XX XX XX XX XX XX

25ट. अध्याय 5ख का लागू होगा.- (1) इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है, जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्य-दिवस को औसतन कम से कम एक सौ कर्मकार नियोजित थे।

(1-क) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाये कि औद्योगिक

शान्ति को बनाये रखने या कर्मकारों पर अत्याचार के होने को रोकने के लिए ऐसा अपेक्षित है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू कर सकेगी जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्य दिवस को औसतन ऐसी संख्या में कर्मकार नियोजित थे जो तीन सौ से कम हों परन्तु एक सौ से कम न हों, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं अथवा उसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है या नहीं तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

XX XX XX XX XX XX XX

25ढ. कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें.- (1) किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में जिसे यह अध्याय लागू होता है, नियोजित किसी कर्मकार की, जो किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा में रह चुका है, उस नियोजक द्वारा छंटनी तभी की जाएगी जब कि,-

(क) कर्मकार को तीन मास की लिखित ऐसी सूचना दे दी गई हो, जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया हो; और

(ख) समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी की, जो उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है), पूर्व अनुज्ञा इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त कर ली गई हो।

(2) से (8) XX XX XX XX XX XX

(9) जहां उप-धारा (3) के अधीन, छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई है या जहां छंटनी की अनुज्ञा उप-धारा (4) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां ऐसा प्रत्येक कर्मकार जो इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए

किए गए, आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक-कर्मकार, छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो निरंतर सेवा के हर सम्पूरित वर्ष के या उसके ऐसे भाग के जो छह मास से अधिक हो, पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा।

25-ण.- उपक्रम बन्द किए जाने की प्रक्रिया.- (1) से (7) XX XX XX XX XX

(8) जहां उप-धारा (2) के अधीन किसी उपक्रम के बंद कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी जाती है या जहां उप-धारा (3) के अधीन बन्द कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व उस उपक्रम में नियोजित प्रत्येक कर्मकार प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पंद्रह दिन के औसत वेतन के बराबर है।

XX XX XX XX XX XX XX

पांचवीं अनुसूची

[धारा 2(दक) देखिए]

अनुचित श्रम व्यवहार

I.- नियोजकों और नियोजकों के व्यवसाय संघों की ओर से

1. से 16. XX XX XX XX XX

II.- कर्मकारों और कर्मकारों के व्यवसाय संघों की ओर से

1. से 4. XX XX XX XX XX

5. दबाव डालने वाले ऐसे कार्य, जैसे कि जानबूझकर "धीमी गति" काम के घंटों के पश्चात् काम के परिसर पर लेट जाना या प्रबंधकीय सदस्यों में से किसी एक का या अन्य कर्मचारिवृन्द का "घेराव" करना, प्रदर्शित, प्रोत्साहित या दुष्प्रेरित करना।

6. से 8. XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX

<u>**2014 का विधेयक सं.17**</u>

औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू करने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

तौफीक हुसैन हाशमी,
उप सचिव।

(वसुन्धरा राजे, **प्रभारी मंत्री**)

<u>Bill No. 17 of 2014</u>

THE INDUSTRIAL DISPUTES (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2014

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Industrial Disputes Act, 1947 in its application to the State of Rajasthan.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

TOFEEQUE HUSAIN HASHMI,
Deputy Secretary.

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)